A-5

CNR NO. UPSN010001952021
FILING NO. 405/185/2021
FILING DATE 01/02/2021

न्यायालय श्रीमान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश मानवाधिकार संरक्षण अधि0 1993 भदोही।

नं0मु0 परिवाद 03 सन् 2021 ई0

1– अनवर अहमद पुत्र खलील अहमद उम्र लगभग ५५ वर्ष निवासी पोस्ट आफिस के पीछे ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही–सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही।

2– अब्दुल कलाम पुत्र बरकत अली उम्र लगभग २८ वर्ष निवासी पोस्ट आफिस के पीछे ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जिला भदोही–सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही।

बनाम

1– अभिनव यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार यादव उम्र लगभग वर्ष निवासी ग्राम रंजितपुर, मदारपुर जिला–जौनपुर उ0प्र0 ''सिविल जज सी0डी0 जनपद न्यायालय–भदोही''

2– सुनिल यादव चौकी इन्चार्ज कस्बा ज्ञानपुर, थाना ज्ञानपुर, जनपद–भदोही

3– नेहा रानी पुत्री श्री प्रमोद कुमार उम्र लगभग वर्ष निवासिनी भायपुर पो0 शरीफनगर, तहसील ठाकुरद्वार, जनपद–मुरादाबाद उ0प्र0 ''आशुलिपिक न्यायालय सिविल जज सी0डि0 जनपद न्यायालय भदोही''

घटना का दिनांक–29.01.2021 ई0

समय लगभग 10:30 से 11 बजे दिन तक

घटना स्थल– चेम्बर सिविल जज सी0डि0 जनपद न्यायालय परिसर भदोही स्थान ज्ञानपुर।

परिवाद पत्र मिनजानिव अनवर अहमद पुत्र खलील अहमद सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही व अब्दुल कलाम पुत्र बरकत अली सफाई कर्मचारी जनपद न्यायालय भदोही स्थान ज्ञानपुर।

परिवादी निम्नलिखित निवेदन करते है–

दफा–1 यह कि परिवादीगण जनपद न्यायालय भदोही में सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त है तथा न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष एवं उससे सम्बधित विश्राम कक्षो की सफाई नियमित रूप से करते है।

अनवर अहमद अब्दुल कलाम

01-2021

दफा–2 यह कि हम परिवादीगण पूरे सेवा काल में अपनी निष्ठा एवं ईमानदारी से सफाई का कार्य कर रहे है, कभी भी हम परिवादीगण की कोई शिकायत नही रही है।

दफा–3 यह कि दिनांक–29.01.2021 ई0 को लगभग 10:30 बजे हम परिवादीगण को श्री अभिनव यादव सिविल जज सी0डि0 ने अपने चपरासी रमेश से चेम्बर में बुलवाया/परिवादीगण श्री अभिनव यादव के चेम्बर में गये तो वहॉ पर चौकी इन्चार्ज कस्बा ज्ञानपुर सुनिल यादव बैठे थे परिवादीगण जैसे ही चेम्बर में पहुँचे तो श्रीमान सिविल जज साहब ने कहा की तुम लोग मेरे स्टेनो नेहा सिंह के कुर्सी पर पिन लगाये थे। जिसके कारण नेहा सिंह को पिन चुभ गयी तुम लोगो ने ऐसा क्यो किया। हम परिवादीगण ने कहॉ कि श्रीमान् जी हम लोग ऐसा क्यो करेगे हम लोगो ने ऐसा कोई काम नही किया है, इस पर श्रीमान् सिविल जज महोदय ने दरोगा सुनिल यादव से कहा कि इन दोनो को मारो जब तक दोनो कबूल न ले कि पिन इन्ही दोनो ने लगाया है। जब चौकी इन्चार्ज सुनिल यादव हम परिवादीगण को दस–दस झापड़ मारा और गाली दिया तथा श्रीमान् सिविल जज महोदय ने कहा कि दोनो अपने अल्लाह की कसम खाओ नही तो बहुत पीटेगें हम परिवादीगण गिड़गिडातें रहे कि हम लोगो ने कोई गलती नही किया है। इस पर श्रीमान् सिविल जज साहब ने दरोगा से कहा कि ऐसे नही कबूलेगें इन्हे चार–चार थप्पड़ और लगाओ, और इनसे कबूलनामा लिखवाओ तब चौकी इन्चार्ज सुनिल यादव ने फिर हम परिवादीगण को चार–चार झापड़ मारा और सादे कागज पर हम परिवादीगण से जबरदस्ती दस्तखत करवाया।

दफा–4 यह कि हम परिवादीगण को श्रीमान् सिविल जज साहब ने नेहा रानी [redacted] के पैर पर गिरकर मॉफी मगवायॉ।

दफा–5 यह कि हम परिवादीगण ने घटना के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय भदोही से मिलकर अपने साथ घटित घटना के सम्बन्ध में सारी बात बताया।

अनवर अहमद

पृ० 3

दफा–6 यह कि विपक्षी अभियुक्तगण द्वारा परिवादीगण को मारा पिटा गया जबरदस्ती कागज पर दस्तखत बनवाया गया तथा जबरदस्ती अल्लाह की कसम खाने को मजबूर किया गया तथा नेहा [redacted] रानी का पैर पकड़ कर माफी मगवॉ कर परिवादीगण को अपमानित किया गया। तथा परिवादीगण के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया।

दफा–7 यह कि परिवादीगण निम्नसमाज हेला जाति से है तथा सफाई कर्मी है विपक्षीगण द्वारा मानवाधिकार का उलंघन करते हुए परिवादीगण के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया गया तथा मार–पीट कर अपमानित किया गया। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत् अपराध की श्रेणी में आता है।

दफा–8 यह कि उक्त परिवाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत घटित घटना से सम्बन्धित है। जिसके सुनवाई का सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

दफा–9 यह कि विपक्षी/अभियुक्तगण को तलब किया जाकर दण्डित किया जाना न्याय की दृष्टि में आवश्यक है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि, विपक्षीगण को तलब कर दण्डित करने की कृपा करे।

दिनांक– 01-02-2021 अख्तर अहमद

अब्दुल कलाम

01-2-21